रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/ आषाढ़ 3, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 78]

No. 121] DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASADHA 3, 1938 [N.C.T.D. No. 78]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2016

सं.फा. 16(508)/ष.वि./ जल /2015/1029–1030.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 26 मार्च. 2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 21 मई. 2015 के पत्र सं. 3/24(7)/2015–आर.आर. के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 05 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या फा. 09/1/81–एलएसजी/1606 द्वारा अधिसूचित **वरिष्ठ आषुलिपिक** भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **वरिष्ठ आषुलिपिक** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (क) इन विनियमों को **वरिष्ठ आषुलिपिक** के पद के भर्ती विनियम दिल्ली जल बोर्ड, 2016 कहा जाए।

   (ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान :–** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :–** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** ऐसा कोई भी व्यक्ति

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **षिथिल करने की शक्ति :**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**—इन विनियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनूसूची

1.	पदनाम	:	**वरिष्ठ आशुलिपिक**
2.	**पदों की संख्या**	:	37 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'ख'
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	पे बैंड—2, 9300—34800/— रुपये (ग्रेड पे 4600/—रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ समावेश किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः—** पे बैंड—2 में 9300—34800/—रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 4200/—रुपये सहित पाचं वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से आशुलिपिक में एक सप्ताह का प्रशिक्षण करने वाले कनिष्ठ आशुलिपिक। **टीपः—** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीप 2:—** पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना**	:	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)

	क्या है?		1. निदेशक (प्र. एवं का.), दि.ज.बो. – अध्यक्ष 2. संयुक्त डीओआर, दि.ज.बो. – सदस्य 3. संबंधित ए.सी. – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2016

No. 16(508)/UD/W/2015/1029-1030.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 26th March, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(7)/2015-RR dated the 21st May, 2015 and in supersession of the Senior Stenographer recruitment and promotion regulations notified vide notification number F. 9/1/81-LSG/1606 dated the 5th March, 1981, except as respect things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Senior Stenographer in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement –**These regulations may be called the Senior Stenographer in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2016.

2. **Number of posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay -** The number of posts, their classification and Pay Band and Grade Pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification -** No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this regulation.

5. **Power to relax-**Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-**Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Senior Stenographer.	37 (2015) subject to variation dependent on workload.	Category 'B'.	PB-2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4600.	Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11
Not Applicable.	Not Applicable.	By promotion.	**<u>Promotion:-</u>** Junior Stenographers in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with five year's regular service and have undergone one week training in stenography form the Delhi Jal Board training institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their junior who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment..
12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (A&P) DJB – Chairman 2. Jt. DOR, DJB – Member 3. A.C. concerned - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of
Government of National Capital Territory of Delhi,

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.